जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार

आदेश सं०–सिं०को०–01/2001–पार्ट–iv- 239 पटना, दिनांक- 28/6/2024

नहरों की मानक संचालन प्रक्रिया, 2024

1. प्रस्तावना

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य होने के साथ–साथ एक घनी आबादी वाला राज्य भी है। बिहार में 94.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 56.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है, जिसके लिए सुनिश्चित सिंचाई एक महत्वपूर्ण पहलु है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है उन क्षेत्रों में साल में दो से तीन फसलों की खेती की जाती है परन्तु बेहतर पैदावार के लिए आवश्यक है कि फसल के जीवन चक्र में जब जितनी नमी की आवश्यकता हो उतना सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाय। इस उदेश्य को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से सम्बंधित नहर प्रणालियों की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गयी है। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के निदेश निम्नवत है :–

2. राज्य की मुख्य वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनायें (31 मार्च 2023 तक) :–

क्र0	सिंचाई योजना का नाम	नहर प्रणाली का नाम	प्रस्तावित सी०सी०ए० (L. ha)	सृजित सी०सी०ए० (L. ha)	सृजित सिंचाई क्षमता (IPC) (L. ha)	लाभान्वित जिला
वृहद् सिंचाई योजनायें						
1	सोन सिंचाई योजना	सोन उच्च स्तरीय नहर	1.392	1.242	1.491	रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद
		सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	5.60	5.422	8.784	भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, पटना, औरंगाबाद, अरवल
2	गंडक सिंचाई योजना	पश्चिमी गंडक नहर	3.99	3.288	3.945	सारण, सिवान, गोपालगंज
		पूर्वी गंडक नहर	6.027	4.877	6.718	पू० चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर
3	कोशी सिंचाई योजना	पश्चिमी कोशी नहर	2.033	1.902	2.187	मधुबनी, दरभंगा
		पूर्वी कोशी नहर	6.120	5.947	7.00	पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल, अररिया
4	कोयल सिंचाई योजना	उत्तर कोयल दांयी नहर	1.230	0.719	0.556	गया, औरंगाबाद
5	अन्य सिंचाई योजनाएं (यथा दुर्गावती, बदुआ, चंदन एवं उदेरास्थान इत्यादि)		4.712	3.787	4.135	रोहतास, कैमूर, भागलपुर, मुंगेर, बांका, गया, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल, अररिया, नवादा, जहानाबाद, नालन्दा, जमुई, मधुबनी, औरंगाबाद, पटना
मध्यम सिंचाई योजनायें						
6	फुलवरिया जलाशय योजना		0.095	0.088	0.088	नवादा

7	लवाइच–रामपुर सिंचाई योजना		0.090	0.086	0.086	पटना
8	जमनिया पम्प नहर परियोजना		0.090	0.090	0.107	कैमूर
9	पंतित वीयर		0.081	0.081	0.081	अरवल, जहानाबाद
10	पैमार बराज परियोजना		0.070	0.070	0.07	नालन्दा
11	अन्य		2.075	1.879	2.134	औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालन्दा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, बांका, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, दरभंगा, मधुबनी
		कुल :–	**33.605**	**29.478**	**37.382**	

3. नहर संचालन अवधि एवं प्रक्रिया

3.1 विभागीय पत्रांक–यो०मो०–4–कार्य०–10–1400/2001–**220** दिनांक–**12.04.2004** द्वारा गरमा, खरीफ एवं रब्बी फसलों के लिए नहरों के संचालन हेतु पूर्व में अधिसूचित अवधि को कृषि विभाग के साथ विमर्श कर निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :–

क्र०	**नहर प्रणाली का नाम**	**फसल**	**विभागीय पत्रांक–220 दिनांक–12.04.2004 द्वारा अधिसूचित नहर संचालन की अवधि**	**नहर संचालन की संशोधित अवधि (विभागीय पत्रांक–सि०को०–01/2001 पार्ट IV–124 दि० 28.03.2024 द्वारा संसूचित)**
1.	सोन नहर प्रणाली	खरीफ	20 मई से 30 अक्टूबर	1 जून से 31 अक्टूबर
		रब्बी	10 दिसम्बर से 10 अप्रैल	20 दिसम्बर से 31 मार्च
2.	कोशी एवं गंडक नहर प्रणाली	गरमा खरीफ	25 अप्रैल से 25 अक्टूबर	25 अप्रैल से 25 अक्टूबर
		रब्बी	10 दिसम्बर से 25 मार्च	20 दिसम्बर से 25 मार्च
3.	चन्दन, बदुआ एवं अन्य जलाशय योजना (जलाशय में पानी उपलब्ध रहने पर)	खरीफ	20 मई से 30 अक्टूबर	1 जून से 31 अक्टूबर
		रब्बी	10 दिसम्बर से 10 अप्रैल	20 दिसम्बर से 31 मार्च

3.2 नहरों को खोलने एवं बंद करने की तिथि का कड़ाई से पालन किया जायेगा। नहरों के पुनर्स्थापन एवं अन्य किसी कारणवश अगर किसी नहर प्रणाली को बंद किया जाना आवश्यक हो तो पूर्ण कारण प्रतिवेदित करते हुए विभागीय आदेश प्राप्त कर समाचार–पत्रों एवं राजकीय गजट में नहर खुलने की निर्धारित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व प्रकाशन सुनिश्चित की जायेगी।

3.3 नहरों को खोलने के बाद प्रारम्भ में प्रत्येक संवाहक नहर एवं वितरण प्रणाली के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने के निमित्त शीर्ष पर उपलब्ध जल के अनुसार गत वर्ष प्रवाहित अधिकतम जलश्राव का 10 प्रतिशत जलश्राव प्रवाहित किया जायेगा तथा धीरे–धीरे जलश्राव में वृद्धि करते हुए 10–15 दिनों में जलश्राव बढ़ाकर गत वर्ष प्रवाहित अधिकतम जलश्राव के बराबर किया जायेगा । अंतिम छोर के स्केप रेगुलेटर से कुछ (0.50 से 1.00 घनसेक) जल निकासी नहर प्रणालियों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने का प्रमाण होगा । तदोपरान्त कमाण्ड क्षेत्र की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार नहर खण्डों के लिए जलश्राव बढ़ाया या घटाया जायेगा। पैतृक नहर में आवश्यकतानुसार सभी खण्डों में या रोटेशन के द्वारा किसी खण्ड में पूर्ण आपूर्ति स्तर या 2/3 पूर्ण आपूर्ति स्तर तक जलापूर्ति की जायेगी ताकि कमाण्ड क्षेत्र के Critical बिन्दु तक पानी पहुंच सके । अधिक जलश्राव स्केप होना पानी की बर्वादी माना जायेगा ।

नहर खुलने पर प्रारंभिक दिनों में यद्यपि कमांड में फसल के अनुरूप पानी की माँग कम होती है, परन्तु शीर्ष पर जल की उपलब्धता के अनुसार नहरों में यथासंभव पूर्ण जलश्राव प्रवाहित कराया जाय। कंमाड में फसलों को देखते हुए नहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त श्राव को स्केप गेट से स्केप कराया जाय ताकि भूगर्भ जल भरन होता रहे।

3.4 नहरों में सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर्विभागीय समन्वय द्वारा सिंचाई व्यवस्था को प्रभावकारी बनाया जायेगा ताकि लक्ष्य के अनुरुप सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

3.5 सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच प्रमंडलवार/जिलावार/प्रखण्डवार विभाजित करेंगे तथा इसकी सूचना जल संसाधन विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी को भी देगें।

4. Indent & Discharge e-System:-

सभी नहर प्रणालियों में जलश्राव की अधियाचना Indent & Discharge e-System Portal पर की जायेगी। इस पोर्टल पर संबंधित प्रमंडलों को वास्तविक समय में केवल अपने परिक्षेत्र के नहर/नहर भाग के लिए इंडेंट, जलश्राव और वाटर रीच को दर्ज करना होता है। डाउनस्ट्रीम डिवीजन के नहर/नहर भाग का इंडेंट, जलश्राव और वाटर रीच को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः समेकित कर लिया जाता है। मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता की यह जवाबदेही होगी कि अपने परिक्षेत्राधीन सभी नहर प्रणालियों के लिए Indent & Discharge Portal पर आँकड़ों की नियमित समीक्षा करें ।

- इसके माध्यम से इंडेंट, जलश्राव और वाटर रीच डाटा रिपोर्ट को क्षेत्र और मुख्यालय स्तर पर ऑनलाइन मोड में एक ही स्थान पर अनुश्रवण किया जाता है।
- सभी प्रमंडलों का इंडेंट (यानी मांग) एक ही रिपोर्ट में एक साथ देखा जा सकता है। इससे सभी प्रमंडल एक ही जगह पर अन्य सभी नहरों के आंकड़े देख सकते हैं।
- ग्राफ के माध्यम से डेटा के पिछले तीस दिनों के रुझान को देखा जा सकता है।
- समग्र इंडेंट और डिस्चार्ज की निगरानी के लिए बैराज का डैशबोर्ड भी दिखता है।

प्रक्रियाः–

- इंडेंट, डिस्चार्ज एवं वाटर रीच का डाटा भरने के लिए सम्बंधित प्रमंडल को WSIMS वेब पोर्टल में लॉगइन करना है। WSIMS वेब पोर्टल का User ID एवं Password सभी प्रमंडलों को पूर्व से ही निर्गत है।
- Indent & Discharge टैब पर क्लिक कर 'Daily Data Entry' पर क्लिक करना है।

- सॉफ्टवेर द्वारा स्वतः भरे गए दैनिक डाटा को वेब पेज पर नीचे दिखाए गए Canal System Name एवं Canal Name को सेलेक्ट कर Update करना है।
- इसी प्रकार सेलेक्ट करते हुए अपने परिक्षेत्राधीन सभी नहरों/नहर भागों के आँकड़े अद्यतन किये जाने हैं।
- Indent & Discharge टैब में 'Schematic diagram' पर क्लिक कर नहरों का आरेख एवं वाटर रीच देखा जा सकता है।
- 'Schematic diagram' में किसी नहर पर डबल क्लिक करके उस नहर के Indent और Discharge के तीस दिनों का ग्राफ देखा जा सकता है।
- Indent & Discharge टैब में 'Report' पर क्लिक कर सभी नहर सम्बन्धी रिपोर्ट देखी जा सकती है। आवश्यकतानुसार Filter का उपयोग कर चयनित नहर प्रणाली का Report देखा जा सकता है।

5. नहर संचालन का उत्तरदायित्व

5.1 सिंचाई के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने स्तर पर प्रत्येक वर्ष पूर्व की भॉति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से संबंधित सूचना/ प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे एवं साप्ताहिक सिंचाई उपलब्धि प्रतिवेदन (साप्ताहांत शुक्रवार) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्राप्त हो जाय।

5.2 नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियंता, (यदि सिंचाई योजना एक प्रमंडल के अधीन हो तो कार्यपालक अभियंता यदि एक से अधिक प्रमंडलों के अंतर्गत परन्तु एक अंचल के अधीन हो तो अधीक्षण अभियंता, यदि एक से अधिक अंचलों के अंतर्गत तो मुख्य अभियंता) मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगें । जहाँ मनमाना अधिक पानी लेने की शिकायतें है, वहाँ विशेष ध्यान देगें तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातिल प्रथा लागू कर पानी छोडने की व्यवस्था करेगें । तातिल व्यवस्था लागू करने के समय स्थानीय किसानों को ससमय सूचना दी जायेगी तथा स्थानीय प्रशासन से प्रभारी अभियंता सहयोग प्राप्त करेंगे ।

5.3 संबंधित कार्यपालक अभियंता सिंचाई अवधि में स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुॅचाने की व्यवस्था करेंगे ताकि नहरों के अन्तिम छोर के किसानों को कोई कठिनाई न हो एवं विभाग को अनावश्यक आलोचना का सामना न करना पड़े ।

5.4 अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, नहरों/ वितरणियों/ उपवितरणियों से सिंचाई का प्रतिदिन नियमित रूप से अनुश्रवण करेगें एवं इसका प्रतिवेदन सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करायेंगे ।

5.5 शीर्ष नियामक/ त्रियक नियामक एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता स्तर पर की जायेगी । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेगें तथा की गयी कार्रवाई की सूचना अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला परिषद् को उपलब्ध करायेगें ।

5.6 उपलब्ध पानी में कमी की स्थिति में, इसके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेगें ।

5.7 नहर के स्केप रेगुलेटर एवं स्केप चैनल को चुस्त–दुरूस्त स्थिति में रखा जायेगा तथा स्केप कराये जा रहे पानी की मात्रा की दैनिक सूचना दी जायेगी । जलाशय एवं डायवर्सन सिंचाई योजनाओं में जल की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जायेगी ।

5.8 सभी गेज में न्यूनतम एवं अधिकतम जलश्राव के हिस्से को हरे रंग में तथा उपर के हिस्से को लाल रंग में रंगा जाय जिससे देखते ही स्पष्ट हो जाय कि जलश्राव आवश्यकता से कम या अधिक या खतरे के निशान के उपर तो नहीं है। इससे आम आदमी विभाग को सतर्क कर सकता है । प्रत्येक नहर के अंतिम छोर पर अवश्य ही इस तरह के गेज का निर्माण हो जिस पर प्राप्त रीडिंग के आधार पर ही जलश्राव हुआ अथवा नहीं, इसकी मान्यता दी जाएगी ।

5.9 अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी क्योंकि पूर्व के समझौतों में प्रत्येक राज्य को मिलने वाली पानी की मात्रा तय है । कुछ ऐसी योजनाएँ जिनमें शीर्ष कार्य अन्य राज्य में अवस्थित है, वहां भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी। किसी कारण–वश जिस राज्य में शीर्ष कार्य अवस्थित है, वहाँ जल की उपलब्धता की कमी हो तो कमी के अनुपात में राज्यों के बीच पानी का विभाजन होगा, तद्नुसार पानी बिहार को उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना शीर्ष कार्य के स्थानीय अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता का दायित्व होगा ।

5.10 दूसरे राज्य में नहर प्रणाली के शीर्ष कार्य अथवा फीडर नहर अवस्थित रहने की स्थिति में नहर प्रणाली के क्षतिग्रस्त होने, भारी वर्षा के कारण नहरों के उत्फुलन अथवा इनलेटिंग के कारण जलश्राव में वृद्धि की सम्भावना जैसी आकस्मिक परिस्थिति में प्रवाहित जलश्राव को घटाने के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा आवश्यक अनुरोध किया जायेगा ।

5.11 प्रत्येक वितरणी के कमांड क्षेत्र के क्रिटिकल बिन्दु की सिंचाई एवं प्रत्येक प्रणाली के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा ।

5.12 नहर बंदी के दौरान नहर बेड एवं किनारे के जंगल झाड़ को छांटना एवं जलश्राव अवरोध को दूर करना अनिवार्य होगा जिसकी जिम्मेवारी कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता की होगी एवं इसका प्रमाण–पत्र नहर खुलने के पूर्व कार्यपालक अभियंता को देना होगा ।

5.13 नहर बैकों के टूटानों की सूचना उसी दिन वायरलेस/ फैक्स/ ई–मेल/ वाट्सऐप द्वारा विभाग को दिया जाय एवं उसकी मरम्मति नियमानुसार बिना समय गंवाये तुरन्त सुनिश्चित किया जायेगा।

6 सोन नहर प्रणाली

6.1 <u>बाणसागर समझौता</u>

6.1.1 सोन नहर प्रणालियों में जल उपलब्धता के लिए मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच हुए समझौता के अनुसार रब्बी तथा खरीफ सिंचाई अवधि में बाणसागर जलाशय से जलश्राव प्राप्त किया जाना है ।

6.1.2 रब्बी सिंचाई हेतु 20 दिसंबर से नहर खोलने के लिए बराज पर जल उपलब्धता का आकलन करते हुए 12 दिसंबर तक बाणसागर प्राधिकार से जलश्राव की अधियाचना किया जायेगा ।

6.1.3 रब्बी सिंचाई के लिए जल की माँग का आकलन करते हुए इस प्रकार का सामंजस्य बनाना होगा कि रिहन्द जलाशय तथा बाणसागर जलाशय से प्राप्त जल से अपेक्षित मात्रा की पूर्ति की जा सके । इस प्रकार पूरी सिंचाई अवधि में साप्ताहिक रूप से इस प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

6.1.4 रब्बी सिंचाई अवधि में जलाशय रो प्राप्त होने वाले जलश्राव का अनुश्रवण करने के लिए एक सहायक अभियंता या कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति जलाशय स्थल पर की जायेगी । इस हेतु मुख्य अभियंता, डिहरी द्वारा प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव 05 दिसम्बर तक विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

6.1.5 खरीफ सिंचाई हेतु 01 जून से नहर खोलने के लिए बराज पर जल उपलब्धता का आकलन करते हुए दिनांक–24 मई तक बाणसागर प्राधिकार से जलश्राव की अधियाचना किया जायेगा ।

6.1.6 खरीफ सिंचाई के लिए जल की माँग का आकलन करते हुए इस प्रकार सामंजस्य बनाना होगा कि रिहन्द जलाशय तथा बाणसागर जलाशय से अपेक्षित मात्रा की पूर्ति की जा सके । इस प्रकार पूरी सिंचाई अवधि में साप्ताहिक रूप से इस प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

6.1.7 जलाशय से छोड़े जाने वाले जल का लेखा–जोखा रखने के लिए "बाणसागर जलाशय जलश्राव पंजी" संधारित किया जायेगा । इस पंजी में 01 नवंबर से प्रारम्भ होने वाले वार्षिक चक्र के अनुसार दैनिक जलश्राव (क्यूसेक/क्यूमेक) तथा दैनिक जल की मात्रा (एकड़–फुट) दर्ज किया जायेगा । रब्बी सिंचाई तथा खरीफ सिंचाई के अंत में प्राप्त जल की कुल मात्रा का मिलान बाणसागर जलाशय के पदाधिकारियों से कर लिया जायेगा । यह पंजी क्षेत्रीय कार्यालय में एक स्थायी महत्वूपर्ण अभिलेख के रूप में सुरक्षित रहेगी ।

6.1.8 खरीफ सिंचाई अवधि में जलाशय से प्राप्त होने वाले जलश्राव का अनुश्रवण करने के लिए एक सहायक अभियंता या कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति जलाशय स्थल पर की जायेगी । इस हेतु मुख्य अभियंता, डिहरी द्वारा प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव 16 मई तक विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

6.1.9 रब्बी तथा खरीफ सिंचाई से संबंधित अधियाचना तथा अनुश्रवण की जवाबदेही अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता की होगी ।

6.2 रिहन्द समझौता

6.2.1 सोन नहर प्रणालियों में जल उपलब्धता के लिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच हुए समझौता के अनुसार रब्बी तथा खरीफ सिंचाई अवधि में रिहन्द जलाशय से जलश्राव प्राप्त किया जाना है ।

6.2.2 रब्बी सिंचाई हेतु 20 दिसंबर से नहर खोलने के लिए बराज पर जल उपलब्धता का आकलन करते हुए 17 दिसंबर तक रिहन्द प्राधिकार से जलश्राव की अधियाचना किया जायेगा ।

6.2.3 रब्बी सिंचाई के लिए जल की माँग का आकलन करते हुए इस प्रकार का सामंजस्य बनाना होगा कि रिंहन्द जलाशय तथा बाणसागर जलाशय से प्राप्त जल से अपेक्षित मात्रा की पूर्ति की जा सके । इस प्रकार पूरी सिंचाई अवधि में साप्ताहिक रूप से इस प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

6.2.4 रब्बी सिंचाई अवधि में जलाशय से प्राप्त होने वाले जलश्राव का अनुश्रवण करने के लिए एक सहायक अभियंता या कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति जलाशय स्थल पर की जायेगी । इस हेतु मुख्य अभियंता, डिहरी द्वारा प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव 05 दिसम्बर तक विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

6.2.5 खरीफ सिंचाई हेतु 01 जून से नहर खोलने के लिए पर बराज पर जल उपलब्धता का आकलन करते हुए दिनांक–26 मई तक रिहन्द प्राधिकार से जलश्राव की अधियाचना किया जायेगा ।

6.2.6 खरीफ सिंचाई के लिए जल की माँग का आकलन करते हुए इस प्रकार सामंजस्य बनाना होगा कि रिहन्द जलाशय तथा बाणसागर जलाशय से अपेक्षित मात्रा की पूर्ति की जा सके । इस प्रकार पूरी सिंचाई अवधि में साप्ताहिक रूप से इस पक्रिया का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

6.2.7 जलाशय से छोड़े जाने वाले जल का लेखा–जोखा रखने के लिए "रिहन्द जलाशय जलश्राव पंजी" संधारित किया जायेगा । इस पंजी में 01 नवंबर से प्रारम्भ होने वाले वार्षिक चक्र के अनुसार दैनिक

जलश्राव (क्यूसेक/क्यूमेक) तथा दैनिक जल की मात्रा (एकड़–फुट) दर्ज किया जायेगा । रब्बी सिंचाई तथा खरीफ सिंचाई के अंत में प्राप्त जल की कुल मात्रा का मिलान रिहन्द जलाशय के पदाधिकारियों से कर लिया जायेगा । यह पंजी क्षेत्रीय कार्यालय में एक स्थायी महत्वूपर्ण अभिलेख के रूप में सुरक्षित रहेगी ।

6.2.8 खरीफ सिंचाई अवधि में जलाशय से प्राप्त होने वाले जलश्राव का अनुश्रवण करने के लिए एक सहायक अभियंता या कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति जलाशय स्थल पर की जायेगी । इस हेतु मुख्य अभियंता, डिहरी द्वारा प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव 16 मई तक विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

6.2.9 रब्बी तथा खरीफ सिंचाई से संबंधित अधियाचना तथा अनुश्रवण की जवाबदेही अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियंता की होगी ।

7 गंडक नहर प्रणाली

7.1 इस नहर प्रणाली में गरमा/खरीफ हेतु नहर खोलने की तिथि 25 अप्रैल एवं रब्बी में नहर खोलने की तिथि 20 दिसम्बर निर्धारित है । अतः संबंधित प्रणाली के मुख्य अभियंता खरीफ हेतु नहर प्रणालियों का Indent 24 अप्रैल एवं रब्बी फसल हेतु Indent 09 दिसम्बर को देना सुनिश्चित करेंगे ।

7.2 गंडक नहर प्रणाली में ससमय जलश्राव उपलब्ध कराने हेतु वाल्मिकिनगर बराज पर खरीफ फसल हेतु 25 अप्रैल से पूर्व एवं रब्बी फसल हेतु 20 दिसम्बर से पूर्व जलाशय में Ponding की व्यवस्था वाल्मिकिनगर बराज प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।

7.3 गंडक पश्चिमी नहर प्रणाली से सारण मुख्य नहर में जलश्राव हेतु उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग (गंडक परियोजना) के समक्ष माँग रखा जाता है एवं वाल्मीकिनगर बराज के संचालन के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की मॉग एवं बिहार राज्य की मॉग के योग के बराबर शीर्ष से पानी छोड़ा जाता है और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बिहार के हिस्से का पानी सारण मुख्य नहर के शून्य बिन्दु पर उपलब्ध कराया जाता है । इसके लिए मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों से ससमय अनुरोध किया जायेगा ।

8. कोशी नहर प्रणाली

8.1 इस नहर प्रणाली में गरमा/खरीफ हेतु नहर खोलने की तिथि 25 अप्रैल एवं रब्बी में नहर खोलने की तिथि 20 दिसम्बर निर्धारित है । अतः संबंधित प्रणाली के मुख्य अभियंता खरीफ हेतु नहर प्रणालियों का Indent 24 अप्रैल एवं रब्बी फसल हेतु Indent 09 दिसम्बर को देना सुनिश्चित करेंगे ।

8.2 कोशी नहर प्रणाली में ससमय जलश्राव उपलब्ध कराने हेतु भीम नगर बराज पर खरीफ फसल हेतु 25 अप्रैल से पूर्व एवं रब्बी फसल हेतु 20 दिसम्बर से पूर्व जलाशय में Ponding की व्यवस्था संबंधित भीमनगर बराज प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी ।

9. अभिलेखों का संधारण

9.1 सिंचाई की प्रत्येक प्रशाखा तथा प्रत्येक अवर प्रमंडल को ग्रामीण नक्शे पर आउटलेट का लोकेशन एवं इसका कमांड क्षेत्र अंकित कर मैप रखना आवश्यक होगा । इस कमांड मैप में पैतृक नहर के शीर्ष का पूर्ण आपूर्ति स्तर तथा निःसृत वितरण प्रणाली के प्रत्येक रीच के क्रिटिकल बिन्दु की स्थिति तथा लेभेल अंकित रहेगा ।

9.2 प्रमंडल, अवर प्रमंडल एवं प्रशाखा में प्रत्येक आउटलेट का रजिस्टर होगा जिसमें आउटलेट का नाम, लोकेशन दर्ज होगा एवं इसका तकनीकी ऑकड़ा संकलित होगा । इसी आउटलेट रजिस्टर

के कमांड के अनुसार खरीफ एवं रब्बी सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित होगा । कनीय अभियंता की जिम्मेवारी होगी कि वे अपने कार्य क्षेत्र में वितरण प्रणाली के प्रत्येक खण्ड में क्रिटिकल बिन्दु तक सिंचाई उपलब्ध करायें, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करें तथा इसका भी लेखा रखे कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेंगे तथा सुझाव देगें कि वहॉ पूरी सिंचाई कैसे सम्भव हो सकती है।

9.3 सिंचाई अवधि में प्रत्येक दिन के वर्षापात का आँकड़ा अवर प्रमंडल में रखा जायेगा तथा जिन अवर प्रमंडलों के मुख्यालय किसी प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित नहीं हैं, वहां रेन गेज स्टेशन अनिवार्य होगा । प्रत्येक प्रणाली में प्रत्येक दिन प्रवाहित जलश्राव, प्रभावी वर्षापात की गणना के अनुसार डेल्टा, प्रवाहित पानी के दिनों की संख्या तथा कुल सिंचित क्षेत्र के आधार पर जलीय लेखा तैयार कर पानी के इष्टतम उपयोग होने के संबंध में समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभागीय सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्रेषित किया जायेगा ।

10. मुख्यालय स्तर पर उत्तरदायित्व

10.1 अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल :—

(i) सिंचाई के सफल कार्यान्वयन हेतु अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, विभागीय स्तर से अनुमोदनोपरांत प्रत्येक वर्ष गरमा सिंचाई प्रारम्भ होने के पूर्व एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे एवं सभी मुख्य अभियंताओं से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर समेकित करते हुए प्रतिवेदन तैयार कर अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना—2/3 एवं उनके प्रबोधकों से समन्वय कर विभागीय पदाधिकारियों को नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। यह नियंत्रण कक्ष गरमा, खरीफ तथा रब्बी सिंचाई अवधि में भी कार्यरत रहेगा ।

(ii) सभी नहर प्रणालियों में जलश्राव का माँग एवं नहर में पानी पहूँचने की दूरी संबंधित आँकड़ा/डाटा पंजी में संधारण करेंगे।

(iii) गरमा/खरीफ सिंचाई हेतु नहर खुलने के साथ गहन अनुश्रवण किया जायेगा ताकि क्रमिक ढ़ंग से जलश्राव बढ़ाते हुए 10—15 दिनों में सभी नहर प्रणालियों के अंतिम छोर तक पानी पहुंच जाय ।

(iv) सभी नहर प्रणालियों का Escape Regulator तथा Escape Channel चालू स्थिति में रहे, सुनिश्चित कर लेंगे ।

(v) सिंचाई अवधि में यदि किसी नहर प्रणाली में 2/3 रूपांकित क्षमता से कम जलश्राव प्रवाहित हो रहा हो तो उसके कारण को पता करेंगे तथा उसके निराकरण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे ।

(vi) खरीफ सिंचाई अवधि में यदि किसी सिंचाई योजना में जल उपलब्धता में कमी हो तो संबंधित सिंचाई प्रणालियों में तातिल व्यवस्था लागू कराना सुनिश्चित करायेंगे ।

(vii) किसी सिंचाई प्रणाली की उपलब्धि यदि अप्रत्याशित रूप से कम प्रतीत हो रहा हो तो मुख्यालय स्तर से विशेष अनुश्रवण दल भेजने की व्यवस्था कराया जायेगा । इस दल द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर समस्या को चिन्हित कर उसका समाधान सुझाया जायेगा ।

(viii) रिहन्द जलाशय एवं बाणसागर जलाशय हेतु मुख्य अभियंता, सिचाई सृजन, डिहरी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दैनिक शेष जल (Daily Balancing Quantity) संबंधित आँकड़ा/डाटा पंजी में संधारण करेंगे।

(ix) नहर संचालन के दौरान किसी तरह की विसंगति उत्पन्न होने पर शीर्षस्थ पदाधिकारियों (माननीय मंत्री/ सचिव महोदय/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन) को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(x) रिहन्द जलाशय एवं बाणसागर जलाशय हेतु सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति तथा उक्त जलाशयों से आवश्यकतानुसार जल की मांग, खरीफ के लिए 25 मई तक एवं रब्बी के लिए 15 दिसम्बर तक से संबंधित आदेश का निर्गत होना सुनिश्चित करें।

10.2 मुख्यालय स्तर पर अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1:–

(i) Indent & Discharge e-System Portal पर निगरानी रखेंगे एवं सॉफ्टवेयर रांबंधित कार्यों में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के समस्या का निदान करेंगे।

10.3 अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2 एवं 3 :–

(i) नहर प्रणाली में जल छोड़ने से 1 सप्ताह पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे के उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी नहर प्रणालियों में रूपांकित जलश्राव प्राप्त करने के लिए तैयार कर ली गई है, अगर ऐसा नही है तो रूपांकित जलश्राव प्राप्त करवाने हेतु क्षेत्रीय अभियंताओं को निदेशित कर अनुश्रवण करेंगे।

(ii) नहर संचालन के दौरान नहर टूटने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(iii) अपने–अपने पीरक्षेत्राधीन नहरों/वितरणियों/ उपवितरणियों का इंडेंट, जलश्राव और पानी पहुँचने की दूरी से संबंधित डाटा का भी प्रतिदिन नियमित रूप से अनुश्रवण करेगें।

(iv) सिंचाई अवधि के दौरान विशेष अनुश्रवण दल द्वारा चिन्हित नहर प्रणालियों से संबंधित सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

10.4 अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4:–

(i) सिंचाई से संबंधित अन्तर्राज्यीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर किये गये एकरारनामा के प्रावधानों पर नजर रखेंगे तथा यदि कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसके त्वरित निदान की कार्रवाई करेंगे।

11. नहर संचालन तथा रख–रखाव मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन

विभागीय आदेश सं०–1/पी०एम०सी०/विविध/149/2002–253 दिनांक–15.03.2024 द्वारा नहर संचालन तथा रखरखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अक्षरशः अनुपालन क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

28/06/24

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक सं०–सिं०को०–01/2001–पार्ट–iv-239 पटना, दिनांक–28/6/2024

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक सं०–सिं०को०–01/2001–पार्ट–iv-239 पटना, दिनांक–28/6/2024

प्रतिलिपि– सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/जल संसाधन विभाग/स्थानिक अभियंता सम्पर्क कार्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, नई दिल्ली/सम्पर्क पदाधिकारी सम्पर्क कार्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, काठमाण्डू (नेपाल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक सं०–सिं०को०–01/2001–पार्ट–iv-239 पटना, दिनांक–28/6/2024

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेब–साईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से पत्र भेजने हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार